www.hrmi.co.in

मानवाधिकार मिशन

HUMANRIGHTS MISSION

Central Office:- 2/13, Julena Commercial Complex, Okhla Road, New Delhi-110025
Mob: 9716164004,Helpline: 8826178400, FAX:- 011-26914348

Central Regn. No. S-00925/NE

Ref. No....

Date.... 15-6-09

आन्तरिक आदेश

समस्त सदस्यों/पदाधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि प्रायः यह देखा गया है कि संगठन के सदस्य व अन्य पदाधिकारीगण अपने वाहनों पर केवल "मानवाधिकार" के नाम की प्लेटें लगा कर चलते है । जिससे कि शासन/प्रशासन के बीच भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो जाती है कि उक्त वाहन शासकीय है या फिर किसी अशासकीय संगठन का। इस प्रकार की प्लेटों का प्रयोग करना सर्वथा गलत है।

भविश्य में केवल "मानवाधिकार" के नाम की प्लेटें संगठन के सदस्य व अन्य किसी पदाधिकारीगण को लगााने की अनुमति नहीं है। केवल निम्न पदाधिकारी ही " मानवाधिकार मिशन " के नाम की प्लेटों का प्रयोग करेंगें विवरण निम्न है.....

1. समस्त राश्ट्रीय पदाधिकारीगण
2. समस्त प्रदेश अध्यक्ष/प्रभारी/महासचिव/उपाघ्यक्ष व संरक्षणों के प्रमुख उपप्रमुख
3. समस्त जिला अध्यक्ष व संरक्षणों के प्रमुख

उपरोक्त पदाधिकारियों के अतिरिक्त यदि किसी अन्य पदाधिकारीगण व सदस्यों द्वारा इसका प्रयोग किया जाता है तो उस पर कडी कार्यवाही की जायेगी , ऐसे वाहनों पर प्रशासनिक कार्यवाही की होने पर संगठन जिम्मेवार नहीं होगा।

HUMAN RIGHTS MISSION Chairman New Delhi

भवदीय

डा0 महेन्द्र शर्मा
चेयरमैन

वितरण.....
समस्त राश्ट्रीय पदाधिकारीगण।
समस्त प्रदेश अध्यक्ष व महासचिव।
समस्त जिलाध्यक्ष को इस आशय से प्रेशित कि अपने जिलों में उक्त आदेश के। पालनार्थ हेतु कार्यलय प्रति।
संगठन की वेवसाइट में प्रकाशन हेतु।

Camp.Office:-Shihgate Road (Opp. 777 Restaurant) Ballabhgarh, Faridabad-121004
Mob: 9716164004, 9416024004, Helpline: 8826178400, FAX:- 0129-2211765, e-mail:- presidenthrm@gmail.com

HUMANRIGHTS MISSION

H.o:- office:-2/13, jullana Commerical Complax,Okhla road,New Delhi-11025

ORGANISATION CHART

कार्यकारिणी समिति	Main committee	No.	Code
अध्यक्ष	president	One	01
उपाध्यक्ष	vice president	four	02-05
महासचिव	Gen. secretary	one	06
संगठन सचिव	organisation secretary	four	07-10
कल्याण सचिव	welfare secretary	four	11-14
विधि सचिव	legal secretary	four	15-18
कार्यक्रम सचिव	programme secretary	four	19-22
मीडिया सचिव	media secretary	four	23-26
कोषाध्यक्ष	trasurer	One	27
प्रवक्ता	spokesman	One	28

DIVISIONAL PROTECTION COMMITTEES

प्रभागीय संरक्षण समितियां		Seven each	No.
21 समितियां	21 committees	1.Chief	1
		2.Dy.Chief	2
		3. Secretary	1
		4. Dy. Secretary	3

1 – प्रादेशिक समितियां	1. State Level Committees
2 – मण्लीय समितियां	2. Divnl. Committees
3 – जनपदीय समितियां	3. Disst. Committees
4 – तहसील समितियां	4. Tehsil Committees
5 – क्षेत्रीय समितियां	5. Area Committees

HUMANRIGHTS MISSION

DIVISIONAL PROTECTION COMMITTIES

1) Minorities Protection	(अल्पसंख्यक संरक्षण)	02
2) Woman Protection	(महिला संरक्षण)	03
3) Sc/st Protection	(अजा/जजा संरक्षण)	04
4) Child Protection	(बाल संरक्षण)	05
5) Admin. Protection	(प्रशासनिक संरक्षण)	06
6) Social Protection	(सामाजिक संरक्षण)	07
7) Eco. Protection	(आर्थिक संरक्षण)	08
8) Religious Protection	(धार्मिक संरक्षण)	09
9) EducationaL Protection	(शैक्षणिक संरक्षण)	10
10) Industrial Protection	(औघोगिक संरक्षण)	11
11) political Protection	(राजनीतिक संरक्षण)	12
12) Traders Protection	(व्यापारिक संरक्षण)	13
13) Youth Protection	(युवा संरक्षण)	14
14) Old age Protection	(वृद्धावस्था संरक्षण)	15
15) Diseabled Protection	(विकलांग संरक्षण)	16
16) Employees Protection	(कर्मचारी संरक्षण)	17
17) Labour Protection	(श्रम संरक्षण)	18
18) Farmers Protection	(कृषक संरक्षण)	19
19) Public servent Protection	(लोक सेवक संरक्षण)	20
20) Health Protection	(स्वास्थय संरक्षण)	21
21) Police Protection	(पुलिस संरक्षण)	22
22) Investigation Protection	(जांच दल)	23
23) Action Team Protection	(जुझारू दल)	24

मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा

अनुच्छेद 1

सभी मनुष्य गरिमा और अधिकारों की दृष्टि से जन्मजात स्वतत्र और समान हैं। और बृद्धि एवं अन्तर्चेतना प्राप्त है उन्हें मातृत्व की भावना से परस्पर कार्य करना चाहिये।

1.स्त्रोत : राज भाषा खण्ड, विधायी विधि और न्याय मन्त्रालय द्वारा प्रकाशित अन्तर्राष्ट्रीय विधि विलेख माला–II पृष्ठ

अनुच्छेद 2

प्रत्येक व्यक्ति इस घोषणा में उल्लिखित सभी अधिकारों एवं स्वतन्त्रताओं का हकदार है। इसमें मूलवंश, वर्ष लिंग, भाषा धर्म, राजनैतिक या अन्य विचार, राष्ट्रीय या सामाजिक उद्भव, संपत्ति जन्म या अन्य प्रारिथति के आधार पर कोई विभेद नही किया जायेगा। इसके अतिरिक्त, किसी देश या राज्य की चाहे वह स्वाधीन हो, न्यास के आधीन हो, अस्वायत्तशसी हों या उसकी प्रभुता किसी मर्यादा के आधीन हो राजनीतिक आधार पर या अधिकारिकता विषयक या अन्तर्राष्ट्रीय प्रारिथति के आधार पर उस देश या राजक्षेत्र के किसी व्यक्ति से कोई विभेद नही किया जायेगा।

अनुच्छेद 3

प्रत्येक व्यक्ति के प्राण स्वतन्त्रता और वैदिक सुरक्षा का अधिकार है।

अनुच्छेद 4

किसी व्यक्ति को दास या गुलाम नही रखा जायेगा, सभी प्रकार की दासता एवं दास व्यापार निषिद्ध है।

अनुच्छेद 5

किसी व्यक्ति को यातना नही दी जायेगी या उससे क्रूर, अमानवीय या अपमानजनक व्यवहार नही किया जायेगा अथवा उसे ऐसा दण्ड नही दिया जायेगा।

अनुच्छेद 6

प्रत्येक व्यक्ति को सर्वत्र विधि के समक्ष व्यक्ति के रुप में मान्यता का अधिकार प्राप्त है।

अनुच्छेद 7

सभी व्यक्ति विधि के समक्ष समान है तथा किसी भेदभाव के बिना विधि के समान संक्षण के हकदार हैं। सभी व्यक्ति इस घोषणा के अतिक्रमण में भेदभाव के विरुद्व तथा ऐसे विभेद के उद्दीपन के विरुद्व समान संरक्षण के हकदार है।

अनुच्छेद 8

प्रत्येक व्यक्ति को संविधान अथवा विधि द्वारा प्रदत्त मूलाधिकरों का अतिक्रमण करने वालो कार्यो के विरुद्व समरू राष्ट्रीय अधिकरणो द्वारा प्रभावी उपचार का अधिकार है।

अनुच्छेद 9

किसी भी व्यक्ति को मनमाने ढंग से गिरफ्तार, निरुद्व या निर्वासित नहीं किया जायेगा।

मानवाधिकार मिशन द्वारा जनहित में प्रकाशित

अनुच्छेद 10

प्रत्येक व्यक्ति अपने अधिकारों और दायित्वों के और उसके विरुद्व आपरिधक आरोप के अवधारण में पूर्णतया समान रुप से स्वतन्त्र और निष्पक्ष अधिकरण द्वारा शीघ्र और सार्वजनिक सुनवायी का हकदार होगा।

अनुच्छेद 11

1. ऐसे प्रत्येक व्यक्ति को जिस पर दाण्डिक अपराध का आरोप है, यह अधिकार है कि उसे तब तक निपराध माना जायेगा जब तक कि उसे लोक विचारण में जिसमें उसे अपनी प्रतिरक्षा हेतु आवश्यक सभी गारंटियाँ प्राप्त हो, विधि के अनुसार दोषी सिद्व नही कर दिया जाता।
2. किसी भी व्यक्ति को किसी ऐसे कार्य अथवा लोप के कारण, जो किये जाने के समय राष्ट्रीय अथवा अन्तर्राष्ट्रीय विधि के अधीन दाण्डिक अपराध नही था, किसी दाण्डिक अपराध का दोषी नही ठहराया जायेगा। ऐसी शस्ति से अधिक शास्ति अधिरोपित नहीं की जायेगी तो तत्समय लागू थी जब अपराधकारित किया गया था।

अनुच्छेद 12

किसी भी व्यक्ति की एकांतता परिवार–घर अथवा पत्र–व्यवहार के साथ मनमाना हस्तक्षेप नहीं किया जायेगा तथा उसके सम्मान और ख्याति पर प्रहार नहीं किया जायेगा। प्रत्येक व्यक्ति को ऐसे हस्तक्षेप अथवा प्रहार के विरुद्व विधि के संरक्षण का अधिकार है।

अनुच्छेद 13

1. प्रत्येक व्यक्ति को प्रत्येक राज्य की सीमाओं के भीतर संचरण एवं निवास की स्वतन्त्रता का अधिकार है।
2. प्रत्येक व्यक्ति को अपने देश को अथवा किसी देश को छोड़ने एवं अपने देश में वापस आने का अधिकार है।

अनुच्छेद 14

1. प्रत्येक व्यक्ति को उत्पीड़न के कारणअन्य देशो में शरण मांगने तथा लेने का अधिकार है।
2. इस अधिकार का अवलंब अराजनैतिक अपराधों अथवा सयुक्त राष्ट्र के प्रयोजन और सिद्धांतों के प्रतिकूल कार्यो से वास्तविक रुप से उद्भूत अभियोजनों की दशा में नहीं लिया जा सकेगा।

अनुच्छेद 15

1. प्रत्येक व्यक्ति को राष्ट्रीयता का अधिकार है।
2. किसी भी व्यक्ति को मनमाने ढंग से न तो उसकी राष्ट्रीयता से और राष्ट्रीयता परिवर्तित करने का अधिकार से वंचित किया जायेगा

अनुच्छेद 16

1. वयस्क पुरुषों तथा स्त्रियों को मूलवंश, राष्ट्रीयता अथवा धर्म के कारण किसी भी सीमा के बिना विवाह करने तथा परिवार स्थापित करने का अधिकार है। वे विवाह कि विषय में वैवाहिक जीवन काल में तथा उसके विघटन पर समान अधिकारों के हकदार है।
2. विवाह के इच्छुक पक्षकरों की स्वतन्त्र तथा पूर्ण सहमति से ही विवाह किया जायेगा।
3. परिवार समाज की नैसर्गिक एवं प्राथमिक इकाई है और इसीलिए यह समाज एवं राज्य द्वारा संक्षण का हकदार है।

मानवाधिकार मिशन द्वारा जनहित में प्रकाशित

अनुच्छेद 17

1. प्रत्येक व्यक्ति को अकेले अथवा अन्य व्यक्तियों के साथ मिलकर सम्पत्ति का स्वामी बनने का अधिकार है।
2. किसी भी व्यक्ति को उसकी सम्पत्ति से मनमाने ढ़ंग से वंचित नही किया जायेगा।

अनुच्छेद 18

प्रत्येक व्यक्ति को विचार, अन्त :करण तथा धर्म की स्वतन्त्रता का अधिकार है, इस अधिकार के अन्तर्गतअपने धर्म अथवा विश्वास को परिवर्तित करने की स्वतन्त्रता एवं अकेले या अन्य व्यक्तियों के साथ मिलकर और सार्वजनिक रुप से अथवा अकेले शिक्षा, पूजा–पाठ में अपने धर्म अथवा विश्वास को प्रकट करने की स्वतन्त्रता भी है।

अनुच्छेद 19

प्रत्येक व्यक्ति को विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता का अधिकार है, इस अधिकार के अन्तर्गत हस्तक्षेप के बिना विचार रखने तथा किसी भी संचार माध्यम से और सीमाओ का विचार किये बिना जानकारी मांगने , प्राप्त करने तथा देने की स्वतन्त्रता भी है।

अनुच्छेद 20

1. प्रत्येक व्यक्ति को शान्ती पूर्ण सम्मेलन तथा संगम की स्वतन्त्रता का अधिकार है।
2..किसी व्यक्ति को किसी संगम में सम्मलित होने के लिये विवश नहीं किया जायेगा ।

अनुच्छेद 21

1. प्रत्येक व्यक्ति को अपने देश की सरकार में ,सीधें अथवा स्वतन्त्रता चुने गये प्रतिनिधियों के माध्यम से, भाग लेने का अधिकार है।
2. प्रत्येक व्यक्ति को अपने देश की लोक सेवा समान अवसर का अधिकार है।
3. लोकमत सरकार के प्रधिकार का आधार होगा, इसकी अभिव्यक्ति सामयिक और वास्तविक निर्वाचनों में होगी, जो सार्वभौम तथा समान मताधिकार द्वारा होगें एवं गुप्त मतदान द्वारा अथवा तत्समान किसी अन्य स्वतन्त्र मतदान की प्रक्रिया द्वारा किये जायेगें।

अनुच्छेद 22

प्रत्येक व्यक्ति को समाज के सदस्य के रुप में, सामाजिक सुरक्षा का अधिकार है तथा वह राष्ट्रीय प्रयास एवं अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से एवं प्रत्येक राज्य गठन और संसाधनों के अनुसार ऐसे, आर्थिक सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकरों को प्राप्त करने का हकदार हैं जो उसकी गरिमा तथा उसके व्यक्तित्व के उन्मुक्त विकास के लिये अनिवार्य है।

अनुच्छेद 23

1. प्रत्येक व्यक्ति को काम करने का , नियोजन के स्वतन्त्र चयन का, कार्य की न्यायोचित एवं अनुकूल दशाओं का तथा बेरोजगारी के विरुद्व संरक्षण का अधिकार है।
2. प्रत्येक व्यक्ति को किसी विभेद के बिना, समान कार्य के लिये समान वेतन का अधिकार है
3. प्रत्येक व्यक्ति को, जो कार्य करता है, ऐसे न्यायोचित तथा अनुकूल पारिश्रमिक का अधिकार है जिससे स्वयं तथा उसके परिवार का मानवीय गरिमा के अनुरुप जीवन सुनिश्चित हो जाये तथा यदि आवश्यक हो, तो सामाजिक संरक्षण के अन्य संसाधनों द्वारा उसे अनुपूरित किया जाये।
4. प्रत्येक व्यक्ति को अपने हितों के संरक्षण हेतु व्यवसाय, संघ बनाने तथा उसमें सम्मिलित होने का अधिकार है।

मानवाधिकार मिशन द्वारा जनहित में प्रकाशित

अनुच्छेद 24

प्रत्येक व्यक्ति को विश्राम एवं अवकाश का अधिकार है जिसके अन्तर्गत कार्य के घंटो की युक्तियुक्त सीमा तथा वेतन सहित सामयिक छुट्टियाँ भी है।

अनुच्छेद 25

1. प्रत्येक व्यक्ति को ऐसे जीवन स्तर का अधिकार है जो स्वयं उसके तथा उसके परिवार के स्वास्थ्य एवं कल्याण हेतु पर्याप्त है, जिसके अन्तर्गत भोजन, वस्त्र, मकान, चिकित्सा और आवश्यक सामाजिक सेवाएं भी हैं और बेरोजगारी रुग्णता अशक्तता, वैधव्य, वृद्धाव्यस्था अथवा उसके नियन्त्रण के बाहर परिस्थितियो में जीवन–यापन के अभाव की दशा में सुधार का अधिकार है।

अनुच्छेद 26

1. प्रत्येक व्यक्ति को शिक्षा का अधिकार है। कम से कम प्राथमिक और मौलिक स्तर पर शिक्षा नि:शुल्क होगी । प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य होगी । तकनीक और व्यापसायिक शिक्षा सामान्यत: उपलब्ध करायी जायेगी और उच्य शिक्षा सभी व्यक्तियों को गुणवगुण के आधार पर समान रुप से प्राप्त होगी ।
2. शिक्षा का लक्ष्य मानव व्यक्तित्व का पूर्ण विकास तथा मानवाधिकरों और मूल स्वतन्त्रताओं के प्राति आदर में वृद्धि होगा । यह सभी राष्ट्रों, मूलवंश विषयक अथवा धार्मिक समूहो के बीच समादर, सहिष्णुता और मैत्री की अभिवृद्धि के लिये उद्दिष्ट होगी एवं शान्ति बनाये रखने के लिये ंयुक्त राष्ट्र के कार्यकलापो को अग्रसर करेगी ।
3. माता–पिता को यह चयन करने का पूर्ण अधिकार है कि उनकी संतान को किस प्रकार की शिक्षा दी जायेगी।

अनुच्छेद 27

1. प्रत्येक व्यक्ति क समुदाय के सांस्कृतिक जीवन में मुक्त रुप से भाग लेने, कलाओं का आनन्द लेन एवं वैज्ञानिक प्रगति तथा उसके लाभों में हिस्सा प्राप्त करने का अधिकार है।
2. प्रत्येक व्यक्ति को स्वनिर्मित वैज्ञानिक, साहित्यिक अथवा कलात्मक कृति के फलस्वरुप होने वाले नैतिक एवं भौतिक हितो के संरक्षण का अधिकार है।

अनुच्छेद 28

1. प्रत्येक व्यक्ति ऐसी सामाजिक एवं नैतिक व्यवस्था का हकदार है जिसमें इस घोषणा में वर्णितअ धिकारों और स्वतन्त्रताओं को पूर्ण रुप से प्राप्त किया जा सकता है।

अनुच्छेद 29

1. प्रत्येक व्यक्ति के उस समुदाय के प्रति कर्तव्य: जिसमें उसके व्यक्तित्व का उन्मुक्त और पूर्णविकास सम्भव है।
2. प्रत्येक व्यक्ति पर अपने अधिकरों और स्वतन्त्रताओं के प्रयोग में वही मर्यादयें लगायी जायेंगी जो अन्य व्यक्तियों के अधिकार और स्वतन्त्रताओं की सम्यक् मान्यता तथा सम्मान सुनिशिचित करने एवं प्रजातन्त्रात्मक समाज में , नैतिकता, लोक व्यवस्था और साधारण कल्याण भी न्यायोचित अपेक्षाओं को पूरा करने के प्रयोजन हेतु विधि द्वारा अवधारित की गयी है।
3. किसी भी दशा में दन अधिकारों एवं स्वतन्त्रताओं को संयुक्त राष्ट्र के प्रयोजनों और सिद्धन्तो के प्रतिकूल नही किया जायेगा।

अनुच्छेद 30

इस घोषणा की किसी बात का यह निर्वचन नही या जायेगा कि उसमें किसी राज्य समूह अथवा व्यक्ति के लिये कोई ऐसा कार्य–कलाप अथवा कोई ऐसा कार्य काने का अधिकार विवक्षित है जिसका लक्ष्य इसमें उपबन्धित अधिकारों और स्वतन्त्रताओं में से किसी का विनाश करना है।

मानवाधिकार मिशन द्वारा हिन्दी में प्रकाशित

"आयोग की अन्य गतिविधियाँ"

आयोग द्वारा शिकायते की जांच करने के साथ ही साथ निम्नलिखित अन्य प्रमुख कार्य भी किये जा रहे है।

- समय–समय पर पुलिस थानो का आकस्मिक निरीक्ष्ज्ञण करना ताकि यह पता लगाया जा सके कि पुलिस अभिरक्षा में किसी व्यक्ति के मानव अधिकारों का हनन तो नहीं किया जा रहा है।
- विटलव तथा आतंकवाद से गस्त क्षेत्रों में मानव अधिकारों का संरक्षण किया जाना।
- पुलिस लांक–अप जेल तथा अन्य नजरबन्दी केन्दों में सुव्यवस्थित सुधार करवाना।
- सेवा निवृत्त शासकीय सेवकों को पेंशन दिलवाना।
- अस्पतालों की व्यवस्था में सुधार करवाना।
- महाविद्यालयों में रैगिंग रोकने का प्रयास।
- स्कूलों में शुद्ध पेयजल की व्यवस्था एवं वस्ते का बोझ करने के प्रयास।
- मानव अधिकारों की रक्षा को सुनिश्चित करने के क्षेत्र में कार्यरत गैर सरकारी संगठनों को प्रोत्साहन देना।
- मानव अधिकारों शिक्षा का प्रचार प्रसार का जन जाग्रति उत्पन्न करना।

"इन शिकायतों पर कार्यवाही नहीं"

आयोग द्वारा आम तौर पर निम्नलिखित प्रकार की शिकायतों पर कार्यवाही नहीं की जाती है।

1. ऐसे प्रकरण जो किसी भी न्यायालय में अथवा किसी आयोग के समस्त विचाराधीन हो।
2. ऐसी घटनाएं जिनकी शिकायतें उनके घटित होने के एक साल बाद की गई हो।
3. ऐसी शिकायतें जो पूरी तरह समझ न आती हो।
4. ऐसी शिकायते जिनमें अध्ययन दिखता हो।
5. ऐसी शिकायते जो आयोग के विचार क्षेत्र के बाहर के मामलों से संबंधित हो।

शिकायत भेजने का तरीका:-

पीड़ित व्यक्ति द्वारा स्वयं अथवा उसकी और से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा आयोग को सीधे प्रार्थना पत्र देकर शिकायत दर्ज करवाई जा सकती है। शिकायत दज्र कराने के लिए वकील की आवश्यकता नहीं है।

शिकायत दर्ज कराने के लिए किसी भी प्रकार का प्रपत्र निर्धारित नहीं है।

शिकायत साधारण कागज पर लिखकर भेजी जा सकती है।

आयोग में शिकायत के लिए आवेदन करने पर कोई शुल्क नहीं लिया जाता है।

"जाँच कार्य से संबंधित प्राप्त अधिकार"

अधिनियम के अंतर्गत किसी शिकायत की जाँच करते समय आयोग को सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के अन्तर्गत सिविल न्यायालय के समस्त अधिकार प्राप्त है। विशेष रूप से संबंधित पक्ष को तथा गवाहों को सम्मान जारी करके बुलाने तथा उन्हें आयोग के सामने उपस्थित होने के लिए बाध्य करके एवं शपथ देकर परीक्षण करने का अधिकार किसी दस्तावेज का पता लगाने और उसको प्रस्तुत करने का आदेश देने का अधिकार रावत पर गवाही लेने का अधिकार और किसी न्यायालय अथवा कार्यालय से कोई सरकारी अभिलेख अथवा उसकी प्रतिलिपि का मांग करने का अधिकार गवाहियों तथा दस्तावेजों की जांच हेतु कमीशन जारी करने का अधिकार आयोग में पुलिस अनुशासन दजल भी है जिसके द्वारा प्रकरणों की जाँच की जाती है।

"मानव अधिकार क्या है ?"

मानव अधिकार से तात्पर्य उन सभी अधिकारों से है। जो व्यक्ति के जीवन, स्वतंत्रता, समानता एवं प्रतिष्ठा से जुड़े हुए है। यह अधिकार भारतीय संविधान के भाग तीन से मूलभूत अधिकारों के नाम से वर्णित किये गये है। और न्यायालों द्वारा प्रवर्तनीय है।

इसके अलावा ऐसे अधिकार जो अन्तराष्ट्रीय समझौते के फलस्वरूप संयुक्त राष्ट्र की महासभा द्वारा प्रवर्तनीय है को मानव अधिकार माना जाता है इन अधिकारों में प्रदूषण मुक्त वातावरण में जीने का अधिकार चिकित्सा सुविधा का अधिकार पीने के शुद्ध पानी

का अधिकार अभिरक्षा में पातनापूर्ण और अपमानजनक व्यवहार न होने पर संबंधी अधिकार और महिलाओं के साथ प्रतिष्ठापूर्वक व्यवहार का अधिकार शामिल है।

भारतीय संसद द्वारा पारित मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 28 सितम्बर 1993 से प्रभावशील के अन्तर्गत गठित मानव अधिकार आयोग एक स्वतंत्र एवं स्वायातया प्राप्त संगठन हैं

जिसका उद्‌देश्य उक्त अधिनियम में वर्णिति अधिकारों का संरक्षण करना है। इसके साथ ही साथ मानव अधिकार आयोग मानव अधिकार संरक्षण एवं मानव अधिकार है।

————000————

मानवाधिकार मिशन द्वारा जनहित मे प्रकाशित

भारतीय संविधान प्रदत्त मानव अधिकार

1. समता का अधिकार
2. धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग अथवा जन्म स्थान के आधार पर विभेद पर प्रतिबन्ध।
3. लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता।
4. अस्पृश्यता का अन्त।
5. उपाधियों का अन्त।
6. स्वतत्रन्ता का अधिकार।
7. अपराधों के लिये दोष सिद्धि के विरुद्ध अधिकार।
8. प्राण एवं दैहिक स्वतत्रन्ता का अधिकार
9. गिरफ्तार एवं निर्विरोध से संरक्षण का अधिकार
10. शोषण के विरुद्ध अधिकार
11. संवैधानिक उपचारों का अधिकार

मानव अधिकारों से सम्बन्धित अन्य शासकीय अधिनियम

1. बन्दीगृह अधिनियम।
2. वर्कमैन कम्पनसेशन अधिनियम
3. बाल गिरवीकरण अधिनियम
4. न्यूनतम मजदूरी अधिनियम
5. कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम
6. मानव अधिकार सशक्त अधिनियम–1993
7. सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम
8. अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम
9. दहेज विरोधी अधिनियम
10. अपराधी परिवीक्षा अधिनियम
11. मैटरनिटी बेनीफिट अधिनियम
12. मैटरनिटी बेनीफिट एक्ट
13. किशोर न्याय अधिनियम
14. बाल श्रम अधिनियम
15. इण्डीसेन्ट रिप्रजेन्ट ऑफ वूमेन एक्ट
16. सती निवारण अधिनियम
17. अनुसूचित जाति/जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम
18. अनुसूचित जाति/जनजाति अत्याचार निवारण नियमावली
19. मानव अंगो का प्रत्यारोपण अधिनियम
20. असमर्थ व्यक्ति (सामान अवसर, अधिकारों का संक्षण और भागीदार अधिनियम)

मानव अधिकार संक्षण हेतु सम्पर्क सूत्र

1. अध्यक्ष, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग
   फरीद कोट हाउस, कॉपर निकस मार्ग, नई दिल्ली
2. अपर पुलिस महानिदेशक (मानवाधिकर)
   प्रदेश----
3. जनपदीय मानवाधिकार न्यायालय समस्त प्रदेश----
4. जिलाधिकारी, समस्त जनपद प्रदेश-----
   (अध्यक्ष, जिला मानवाधिकार समितियाँ)
5. जिला अध्यक्ष/ मण्डल अध्यक्ष / प्रदेश अध्यक्ष

मानवाधिकार मिशन द्वारा जनहित में प्रकाशित

महिलाओं के अधिकार

महिलायें मातृ शक्ति का प्रतीक है। उनके लिये हमारे कानून में विशिष्ट व्यवस्थायें की गई है। यहाँ पर महिलाओं के अधिकार संरक्षण हेतु विधि द्वारा स्थापित व्यवस्थाओं को प्रस्तुत किया जा रहा हैं जो कि निम्नतः हैं। यदि कोई व्यक्ति स्त्री की लज्जा भँग करने के आशय से उस पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग करेगा तो भा.द.सं की धारा 354 के अनुसार उसे दो वर्ष तक की सजा या जुर्माना या दोनों से दण्डित किया जायेगा।

किसी स्त्री को विवाह के लिये विवश करने या भृष्ट करने के लिये उसे व्यपहरत या अपहरत करने के लिये धारा 366 भा.द.सं. के अंतर्गत दस वर्ष का कारावास और जुर्माना से दण्डित करने की व्यवस्था है।

नाबालिग लड़की 18 वर्ष से कम उम्र की लड़की को उपापन करने पर धारा 366 (क) भा.द.स. के अंतर्गत दस वर्ष कारावास और जुर्माना से दोषी को दण्डित करने का प्रावधान है।

विदेश से लड़की आयात करने वाले को धारा 366 (ख) भा.दं.स. के तहत भी उतना ही दण्ड की व्यवस्था है, जो धारा 366 (क) भा.दं.स. में ऊपर दी गई है।

यदि कोई व्यक्ति नावालिग लड़की को वैश्यावृत्ति के प्रयोजन हेतु बेचेगा या भाड़े पर देगा तो उसे धारा 372 भा.द.सं द्वारा दस वर्ष के लिये कारावास और जुर्माने से दण्डित किया जा सकेगा। खरीददार या प्राप्त कर्ता को भी उतने ही दण्ड से दण्डित किया जा सकेगा।

धारा 376 भा.दं.स. बलात्कार के दोषियों को दण्डित करने के लिये है। जिसमें आजीवन कारावास या दस वर्ष के लिए कारावास या जुर्माना या दोनों से दण्डित किया जा सकेगा। धारा 376 (क) भा.दं.सं. के अंतर्गत पृथक रहने के दौरान किसी पुरूष द्वारा अपनी स्त्री के साथ संभोग करने पर दो वर्ष की सजा या जुर्माना या दोनों से दण्डित किया जा सकेगा।

धारा 376 (ख) भा.द.स. के अन्तर्गत लोकसेवक द्वारा अपनी अभिरक्षा में किसी स्त्री के साथ संभोग करने पर पॉच वर्ष के लिये कारावास और जुर्माने से दण्डित करने की व्यवस्था है।

धारा 376 (ग) भा.द.स. के अन्तर्गत जेल, प्रतिप्रेषण गृह आदि के अधीक्षक द्वारा संभोग करने के लिये पॉच वर्ष के कारावास और जुर्माने की व्यवस्था है।

धारा 376 (घ) भा.द.स. के अन्तर्गत किसी अस्पताल के प्रबंधक या कर्मचारी आदि द्वारा उस अस्पताल में किसी स्त्री के साथ संभोग करने पर भी उतना ही दण्ड है।

धारा 377 के अंतर्गत अप्राकृतिक मैथुन के लिये भी इतना ही दण्ड हैं।

अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम, 1956 के अंतर्गत वेश्यावृत्ति करने, वेश्यावृत्ति के लिये दुष्प्रेरित करने अथवा वेश्यागृह बनाने आदि अनैतिक एवं अवैध कृत्यों के लिये दण्डित करने की व्यवस्था है। अनैतिक व्यापार के निवारण के लिये मई 1956 के नवें दिन न्यूयार्क में अर्न्तराष्ट्रीय कनवेंशन पर भारतवर्ष ने भी हस्ताक्षर किये थे तदनुसार सन् 1956 में उक्त कनवेंशन के अनुसरण में यह अधिनियम भारतवर्ष में बनाया गया था।

वेश्यावृत्ति से मुक्त करने के बाद सुधारगृहों में शासन की ओर से वेश्यावृत्ति से मुक्त कराई स्त्रियों के सुधार हेतु सुधार गृह भी बनाये गये है।

किसी स्त्री की आकृति, उसके रूप या शरीर या उसके किसी अंग,या किसी ऐसी रीति से ऐसे रूप में चित्रण करना अभिप्रेत है जिसका प्रभाव अशिष्ट है, अथवा जो स्त्रियों के लिये अपमानजनक या निन्दनीय हो अथवा जिससे लोकनैतिकता या नैतिक आधार के विक्रेता भ्रष्ट या क्षति होने की सँभावना है। स्त्री अशिष्ट रूपन (प्रतिशेध) अधिनियम, 1986 के अंतर्गत दण्डनीय अपराध है। इसमें दो वर्ष तक की सजा और दो हजार रूपये तक दण्ड की व्यवस्था है। द्वितीय या पुनः दोषसिद्वि की अवस्था में कारावास जो न्यूनतम 6 माह होगा तथा 5 वर्ष तक की सजा और जुर्माना जो कम से कम 10,000 रू0 अधिकतम एक लाख रूपये तक हो सकेगा।

सती प्रथा भारतवर्ष में एक सामाजिक अभिशाप है। सती कर्म करने का प्रयास करना,सती होने का दुष्प्रेरण, और सतीकर्म का महिमामण्डित करना कानूनन अपराध है। सती (सती निवारक) अधिनियम,1987 के अंतर्गत सतीकर्म के लिये छह माह की सजा या जुर्माना या दोनों ही दण्ड से दण्डित करने की व्यवस्था उक्त अधिनियम की धाराओं में धारा 4 के अंतर्गत सतीकर्म का दुष्प्रेरण प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः करने पर मृत्यु से आजीवन कारावास का दण्ड और जुर्माने की व्यवस्था है।

धारा 5 में सतीकर्म का गौरवान्वयन करने अर्थात महिगामण्डित करने पर 7 वर्ष तक की सजा और जुर्माना जो कम से कम 5 हजार रूपये से तीन हजार रूपये तक हो सकेगा।

जिला मजिस्ट्रेट को सती सम्बन्धी कार्यो का प्रतिशेध करने कुछ मंदिर या संरचनाओं को हटाने तथा कुछ सम्पत्तियों को अधिग्रहण करने की शक्ति कानूनन मिली हुई है। इस अधिनियम के मुकदमों का विचारण विशेष न्यायालयों में होता है।

जन्म, मृत्यु और विवाह के रजिस्ट्रेशन (पंजीकरण) हेतु भी विशेष प्रावधान है। इनके अनुसार प्रत्येक बच्चे के जन्म,विवाह तथा प्रत्येक व्यक्ति की मृत्यु के रजिस्ट्रेशन (पंजीकरण) की विशेष व्यवस्था जन्म मृत्यु और विवाह रजिस्ट्रेशन अधिनियम के अंतर्गत है। हाल ही में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा भारतवर्ष में निवासरत सभी धर्मों के व्यक्तियों के विवाह को अनिवार्य रूप से पंजीकृत करने की व्यवस्था की है।

मानवाधिकार मिशन द्वारा जनहित में प्रकाशित

दहेज भी वर्तमान समाज का कोढ़ है। भारतीय संसद द्वारा दहेज प्रतिरोध (वधु और वर को दिये गये उपहारों की सूचियों का अनुरक्षण) नियमावली 1985 दहेज की कुप्रथा को रोकने हेतु बनाया है जिसके तहत वर और वधु को शादी के समय अथवा विवाह के बाद शीघ्र, शादी में प्राप्त उपहार एवं सभी वस्तुओं जेवरात आदि की सूची तैयार करके वस्तु का नाम तथा अनुमानित मूल्य आदि का वर्णन करना आवश्यक है। यह सूची वर व वधु दोनों के हस्ताक्षर युक्त होगी यदि कोई पक्षकार हस्ताक्षर करना नहीं जानता तो अँगूठा निशानी उस लिस्ट को पढ़वाकर और समझकर लगायेगा। इस पर उभयपक्ष के व्यक्तियों अभिभावकों या नाते रिश्तेदारों के भी हस्ताक्षर होने चाहिऐ।

धारा 304 (ख) दहेज के कारण अथवा अन्य प्रकार का उत्पीड़न करने के फलस्वरूप मृत्यु होने की स्थिति में विवाह होने के सात वर्ष के अन्दर यदि किसी स्त्री की अस्वाथाविक मृत्यु अपनी ससुराल में हो जाये तो जबतक कि ससुराल पक्ष यह सिद्व न करे कि मृत्यु स्वाभाविक रूप से हुई, तब तक यही परिकल्पना की जायेगी कि महिला की मौत दहेज के लिये किये उत्पीड़न के कारण है। दहेज हत्या के मामलों में पति व उसके नातेदार, कुटुम्बी आदि को कम से कम 7 वर्ष, अधिक से अधिक आजीवन कारावास तक की सजा हो सकती है।

धारा 494 भा.दं.सं. के अंतर्गत पति या पत्नी के जीवनकाल में यदि कोई एक दूसरे से विवाह विच्छेद (तलाक) लिये बिना दूसरी शादी कर लेता है तो उसे सात वर्ष तक सजा हो सकती है।

धारा 497 भा.दं.सं. के तहत जारकर्म करने पर पाँच वर्ष तक का कारावास सँभव है।

हिन्दुओं के विवाह सम्बन्धी मामले हिन्दु विवाह अधिनियम से शासित होते है। मुस्लिम महिलाओं के सँरक्षण हेतु मुस्लिम विधि तथा मुस्लिम महिला (तलाक के अधिकार पर सँरक्षण) अधि0 1986 बना हुआ है। पारसी महिलाओं के लिये विशेष विवाह अधि0 बना हुआ है।

हिन्दु महिला और बच्चों के भरणपोषण हेतु हिन्दु दत्तक एवं भरणपोषण अधि0 1956 भी है।

हिन्दु,मुस्लिम अथवा ईसाई किसी भी धर्म की महिला और बच्चे भरणपोषण हेतु धारा 125दं0प्र0सं0 के अंतर्गत अनुतोष पा सकते है। इस धारा के अंतर्गत वृद्व माता पिता अपने लड़के, लड़कियों से,सन्तान (चाहे वैध हो या अवैध) अपने माता पिता से तथा पत्नी अपने पति से भरणपोषण (गुजाराभत्ता) पाने के आधिकारी हैं।

वर्तमान परिस्थितियों में न्यायालयों में विचाराधीन मुकद्मों की बढ़ी हुई संख्या से न्यायालयों में वाद विवाद का निस्तारण बहुत विलम्ब और कठिनाइयों से हो पा रहा हैं। अतः आवश्यकता परस्पर सुलह समझौता से अपनी समस्याओं के निदान की है। पारिवारिक मामलों में छोटी छोटी बातों पर ध्यान न देकर एक दूसरे के अवगुणों को सुधार कर, गुणों पर ध्यान देकर परस्पर प्रेम स्नेह श्रद्वा व विश्वास आधारित अच्छा वातावरण बनाने हेतु सदैव प्रयत्नशील रहे। विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा स्थापित सुलह समझौता केन्द्र तथा लोक अदालतों के वारे में जानकारी करके सुलह समझौता किया जाये।

विशाखा प्रति राजस्थान सरकार केस में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय तथा अर्न्तराष्ट्रीय कानून में यौन उत्पीड़न के विरूद्व सुरक्षा को दृष्टिगत रखकर भारत सरकार ने कार्यस्तर पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न रोकने हेतु विशेष निरोधात्मक तथा दण्डात्मक नियम बनाये है।

महिलाओं की जागृति और सँरक्षण हेतु भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना की है। जिसका कार्यालय 3 दीनदयाल उपाध्याय मार्ग नई दिल्ली 110001 पर है। यहाँ पर पीड़ित महिला के प्रार्थनापत्र देने पर आवश्यक कार्यवाही होती हैं।

राष्ट्रीय मानवअधिकार आयोग भी महिलाओं को सँरक्षित और जागृत करने हेतु निरन्तर प्रयासरत है। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग में राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष भी पदेन सदस्य होती हैं। राष्ट्रीय मानवअधिकार आयोग फरीदकोट हाऊस, कापरनिक्स मार्ग, नई दिल्ली में स्थित है।

राज्य स्तर पर भी उ.प्र. में राज्य महिला आयोग इन्दिरा भवन, अशोकमार्ग, लखनऊ में तथा राज्य मानव अधिकार आयोग, विनीत खण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ में स्थित है।

वर्तमान में भ्रूड़ से लेकर वृद्वावस्था तक महिलाओं को विशेष सामाजिक सरंक्षणें सम्मान और सहानुभूति पूर्वक सामाजिक रूप से सशक्त बनाने की सर्वाधिक आवश्यकता है। लिंगानुपात का समीकरण तेजी से बढ़ना राष्ट्रीय चिन्तन का अहम विषय है।

नारी का सम्मान जहाँ,
देवता करते निवास वहाँ।

मानवाधिकार मिशन द्वारा जनहित में प्रकाशित

महिलाओं के प्रति होने वाले अपराध

- अपराध का अर्थ है कोई ऐसा कृत्य या अकृत्य जो कानूनन दंडनीय हो।
- बलात्कार,हत्या,गंभीर चोट,प्रहार;
- छेड़छाड़,ऐसे शब्द बोलना अथवा ऐसे इशारे करना जिससे महिला की शालीनता का अपमान होता हो;
- अपहरण,भगाना अथवा महिला को फुसला कर विवाह के लिये मजबूर करना;
- किसी नाबालिग लड़की को इस इरादे से फुसलाना कि वह अन्य व्यक्ति के साथ गैर–कानूनी संभोग करने पर बाध्य हो;किसी नाबालिग को वेश्यावृति कराने के इरादे से खरीदना या बेचना;
- दहेज मांगना,देना या लेना;
- पति या उसके किसी अन्य रिश्तेदार द्वारा विवाहित महिला पर अत्याचार,दहेज मृत्यु आदि;
- पत्नी के जीवित रहते दूसरा विवाह करना, किसी विवाहित महिला को अपराधिक इरादे से बहकाना, ले जाना;

पुलिस को सूचना एंव पुलिस का कर्तव्य

- कोई भी व्यक्ति जिसे अपराध की या पीड़िता की जानकारी है वह निकटवर्ती पुलिस थाने जाकर,अपराध कृत्य की सूचना दे सकता है। यह सूचना वहां लिखाई जाती है इसे प्राथमिकी या एफ.आई.आर कहते है।
- पुलिस का कर्तव्य किसी व्यक्ति द्वारा दी गई सूचना को दर्ज करना हैं एंव सूचक को पढ़कर सुनाई जायेगी।
- यदि कोई व्यक्ति असंज्ञेय अपराध किये जाने के बारे में पुलिस अधिकारी को सूचना देता है तो वह इस प्रयोजनार्थ विशेष रूप से रखी पुस्तक में ऐसी सूचना दर्ज करेगा। तत्पश्चात् वह अधिकारी इसकी सूचना मजिस्ट्रेट को देगा। असंज्ञेय अपराध की सूचना लिखित या मौखिक रूप से सीधे मजिस्ट्रेट को भी दी जा सकती है।
- चूंकि असंज्ञेय अपराध सामान्यतया एक निजी या एक वैयक्तिक किस्म का अपराध होता है, पुलिस तब तक असंज्ञेय अपराध की छानबीन नहीं कर सकती जब तक कि मजिस्ट्रेट ऐसा करने का आदेश नहीं देता।

मानवाधिकार मिशन द्वारा जनहित में प्रकाशित

भ्रूण के लिंग का चयन/निर्धारण

- गर्भधारण से पूर्व एवं उसके बाद लिंग का चयन वर्जित है।
- लिंग के चयन का अर्थ है किसी प्रक्रिया, तकनीक, परीक्षण, नुस्खे द्वारा यह मालूम करना कि भ्रूण का लिंग क्या है।
- अल्ट्रासाउंड आदि चिकित्सीय प्रक्रियाएं कानून द्वारा विनियमित हैं।
- **किसी भ्रूण के लिंग का निर्धारण करने के प्रयोजन से कोई भी परीक्षणशाला, अस्पताल, क्लिनिक या डॉक्टर किसी महिला का परीक्षण नहीं कर सकता।**
- ऐसा करने वाला कोई भी व्यक्ति कानूनन दंड का भागी है।
- किसी महिला का पति या रिश्तेदार उसे भ्रूण के लिंग निर्धारण करने वाला कोई परीक्षण कराने को मजबूर नहीं कर सकते।
- शब्दों, हावभाव अथवा अन्य किसी तरीके से भ्रूण के लिंग का जाहिर किया जाना कानूनन अपराध है।
- यह लड़की के विरुद्ध भेदभाव है।
- यह चिकित्सा व्यवसाय के लिए अनैतिक भी है।
- इसके सामाजिक, आर्थिक तथा स्वास्थ्य संबंधित पहलू भी हैं।
    - कई गर्भधारणों तथा गर्भपातों के परिणामस्वरूप महिला का स्वास्थ्य खराब होता है।
    - समाज में स्त्रियों की घटती हुई संख्या के परिणामस्वरूप यौन संबंधित अपराधों तथा महिलाओं के प्रति हिंसा में वृद्धि होगी।
    - ऐसे असंतुलनों से दहेज, बहुपतित्व, बलात्कार, बाल विवाह, पत्नी विक्रय, विवाह के लिए महिलाओं का अपहरण जैसी सामाजिक समस्याएं बढ़ेंगी।

गर्भ का चिकित्सीय समापन

- कुछ परिस्थितियों में गर्भपात कानूनी है, किन्तु यह कानून के प्रावधानों के अनुसार किया जाना चाहिए।
- महिला को गर्भ के समापन के लिए मजबूर करना अपराध है।
- **गर्भपात कब कानूनन मान्य है?**
- यदि गर्भ जारी रहने से जीवन को खतरा हो।
- यदि गर्भ जारी रहने या माँ के शारीरिक या मानसिक स्वास्थ्य को गंभीर क्षति पहुंचने की संभावना हो।
- गर्भधारण बलात्कार के कारण हुआ हो।
- बच्चा पैदा होने पर बहुत विकलांग हो।
- दम्पत्ति द्वारा परिवार नियोजन की अपनाई गयी कोई पद्धति असफल हो गयी हो।

मानवाधिकार मिशन द्वारा जनहित मे प्रकाशित

अनैतिक व्यापार

अनैतिक व्यापार का प्रभाव :–

- शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं।
- इन समस्याओं में शामिल है परिवार नियोजन न कर पाना, लगातार बलात्कार, शारीरिक दुराचार एवं अन्य स्वास्थ्य संबंधी मुद्दे ।
- बलात वेश्यावृति में डाली गयी महिलाओं को रति जनित रोगों तथा एच.आई.वी. एड्स का खतरा बढ़ जाता है।

अनैतिक व्यापार के बारे कुछ महत्वूपर्ण कानूनी प्रावधान

- कोर्ट में व्यक्ति जो किसी स्त्री या लड़की की खरीद फरोखत करता है या उसे वेश्चावृति के लिये फुसलाता है अपराधी है।
- किसी महिला या लड़की को ऐसे परिसर में निरूद्ध रखना जहां वेश्यावृति के लिए फुसलाना अपराध है।
- किसी महिला या लड़की की ऐसे परिसर में विरूद्ध रखना जहॉ वेश्यावृति चल रही हो, कानूनन दंडनीय है।
- कोई भी व्यक्ति जो वेश्यालय चलाता है या उसका प्रबंध देखता है या इसमें सहायता करता है, अपराधी है।
- अठारह वर्ष से ऊपर का कोई भी व्यक्ति जो पूर्ण अथवा आंशिक रूप में किसी महिला या लड़की को वेश्यावृति पर जीवन यापन करता है कानूनन दंडनीय है।

बाल विवाह

बाल विवाह के कुप्रभाव	बाल विवाह एक अपराध है
• स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा • एच.आई.वी. अल्पस्वतता स्त्रीरोग की समस्याऐ • 15 से 19 के बीच की आयु की युवा महिलाओं में मृत्यु तथा निर्बलता का एक मुख्य कारण गर्भधारण है। • लड़कियों का शैक्षिक, सामाजिक और आर्थिक विकास रूक जाता है।	• 18 वर्ष से कम आयु की लड़की और 21 से कम आयु के लड़के का विवाह अपराध है। • निर्धारित आयु से पूर्व विवाह के लिए सहमति देने वाले को कारावास या जुर्माना अथवा दोनों को सजा हो सकती है

मानवाधिकार मिशन द्वारा जनहित में प्रकाशित

महिला की गिरफ्तारी के समय के अधिकार

गिरफ्तारी का कारण जानने का अधिकार

अपराध का पूरा ब्यौरा जानने का अधिकार

रिश्तेदारों/मित्रों को सूचित करने का अधिकार

असाधारण परिस्थितियों को छोड़कर किसी महिला को सूर्यास्त के पश्चात और सूर्योदय से पूर्व गिरफ्तार नहीं किया जा सकता और उसकी अनुमति भी न्यायिक मजिस्ट्रेट से लेनी होगी।

वकील से परामर्श लेने का अधिकार

गिरफ्तारी के समय हथकड़ी लगाना गैर–कानूनी है।

गिरफ्तार की गयी महिला की तलाशी केवल महिला पुलिस अधिकारी द्वारा ही ली जायगी। कोई भी पुरूष पुलिसकर्मी किसी महिला की तलाशी नहीं ले सकता।

किन्तु कोई पुरूष पुलिस अधिकारी किसी महिला के मकान की तलाशी ले सकता है। ऐसी तलाशी किसी तलाशी वारन्ट के बिना भी ली जा सकती है परन्तु उस समय इलाके के दो स्वतंत्र एंव प्रतिष्ठित व्यक्तियों की उपस्थिति में पंचनामा तैयार करके उनके हस्ताक्षर होने चाहियें।

यदि जमानतीय अपराध है तो पुलिस उसे जमानत लेकर रिहा कर सकती है। गैर–जमानतीय अपराध के मामले में न्यायालय से केवल मजिस्ट्रेट ही जमानत पर रिहा कर सकता है।

किसी महिला को पूछताछ या साक्ष्य के लिये पुलिस स्टेशन या किसी अन्य स्थान पर नहीं बुलाया जा सकता। उसके निवास पर ही उससे पूछताछ की जा सकती है।

महिला अधिकार से सम्बन्धित अन्य शासकीय अधिनियम एंव उत्पीड़न

- दहेज प्रतिषेध अधिनियम,1961
- अनैतिक व्यापार
- बाल विवाह
- कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न
- महिलाओं की घरेलू हिंसा से सुरक्षा अधिनियम,2005
- अ–निवासी भारतीयों के साथ विवाह
- भ्रूण के लिंग का चयन/निर्धारण

मानवाधिकार मिशन द्वारा जनहित में प्रकाशित

टी0आई0आर0 प्रणाली?

देष में प्रथम बार किसी अपराध घटित होने की स्थिति में पुलिस में दर्ज करायी जाने वाली एफ0आई0आर0 (प्रथम सूचना रिपोर्ट) का एक विकल्प मानवाधिकार के अनतर्गत लोगों को प्राप्त हो गया है। प्रायः यह देखा जाता है कि अपराधों की संख्या में बढोत्तरी नहीं दर्षाने की नियत से पुलिस विभाग आम नागरकिों की एफ.आई0आर0 ही नहीं लिखता जिसमें पीड़ित इधर–उधर भटकता उच्च अधिकारियों तक दौड़ लगाता था। नेताओं अथवा असरदार व्यक्तियों से प्रभाव डलवाकर एफ0आई0आर0 लिखवाने का प्रयास करता था। अंत में न्यायालय मं धार 156 (3) के अन्तरर्गत एक परिवाद दाखिल करता जिसमें महीनों सुनवाई चलने के उपरान्त यदि न्यायालय एफ0आई0आर0 दर्ज करने का आदेष कर दे तभी एफ0आई0आर0 दर्ज होती थी। इन स्थितियों जब पीडित मुख्य उत्पीडन से हटकर एक नये उत्पीडन का षिकार हो जाता था। वहीं न्यायालय में पुलिस विभाग एफ0आई0आर0 दर्ज न करने की दलीलें प्रस्तुत करती तथा मानसिक रूप से पीडित के विरूद्ध हो जाता। और अन्ततः यदि न्यायालय के दबाव में एफ0आई0आर0 लिखनी भी पड़ती तो पुलिस उक्त केस में निष्क्रिय ही रहती जिसके फलस्वरूप अपराधी बच निकलता था। किन्तु टी0आई0आर0 प्रणाली में सी0आर0पी0सी0 के प्रावधानों के अनुरूप पीडित की पुलिस द्वारा एफ0आई0आर0 न लिखे जाने की स्थिति में एक स्वस्थ विकल्प टी0आई0आर0 के रूप में अब उपलब्ध है। जिसमें पीडित एक नोटरी हलफनामें के आधार पर अपनी षिकायत (टी0आई0आर0) उत्पीडन सूचना रिपोर्ट मानवाधिकार कार्यालयों में दर्ज करा सकेगा। जिसकी प्रतियां पुलिस प्रमुख पुलिस प्रषासन, राज्य मानव अधिकार आयोग, मानवाधिकार न्यायालय आदिको प्रेषित की जायेंगी एवं तद्दुनुसार पीडित का परिवार संचालित होकर उसे न्याय मिल सकेगा।

प्रदेष कार्यालय सीही गेट रोड़ 777 रेस्टोरेन्ट के सामने बंल्लबगढ़, फरीदाबाद।

डॉ महेन्द्र शर्मा

वोटर को उम्मीदवारो की पूरी जानकारी हासिल करना वोटर का मौलिक अधिकार

भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेषानुसार भारतीय वोटर को अपने उम्मीदवारों (लोकसभा,विधानसभा, स्थानीय निकाय इत्यादि) की पूरी जानकारी हासिल करने के अधिकार को मौलिक अधिकारों में शामिल कर दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने चुनाव आयोग को निर्देष दिया है कि उम्मीदवारो को निम्नलिखित सूचना अवष्य देनी होगीः

1. क्या उम्मीदवार पर पूर्व में किसी आपराधिक कृत्य का मामला चल चुका है, जिसमें उसे दोषी ठहराया गया हो या दोषमुक्त कर दिया हो। यदि वह दोषि ठहराया गया था तो उसे कैद की सजा हुई या हुई या जुर्माना किया गया था।

2. उम्मीदवार इस बात का भी ब्यौरा दे कि नामांकन पत्र भरने के छह महीने पहले से उस पर कोई ऐसा मामला विचाराधीन नही है जिसमें आरोप तय किये जा चुके हो या अदालत संज्ञान ले चुकी हो और उसे दो साल या इससे ज्यादा की कैद की सजा सुनायी जा सकती हो।

3. उम्मीदवार, उसके प्रति/पत्नी और आश्रितों (विवाहित पुत्रियों को छोड़कर) की परिसंपतियां (चल, अचल संपति और बैंक बैलेंस आदि)

4. उम्मीदवार की देनदारियों की घोषणा। विषेषकर सार्वजनिक वित्तीय संस्थानों और सरकारी बकाया के संबंध में।

5. उम्मीदवार की शैक्षणिक योग्यता। सर्वोच्च न्यायालय ने चुनाव आयोग से कहा कि इन निदेषों को लागू करने के लिए जितनी जल्दी संभव हो प्रभावकारी कदम उठाये और किसी भी दषा में यह कार्य दो माह के भीतर पूरा हो जाना चाहिए।